न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 39/2015 तारीख रजू:– 16.11.2015

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. विजयसिंह	पिसरान	जाति जाट
2. समयसिंह	चिरमोली	निवासी ऐकोरासी
3. राजाराम		तहसील हिण्डौन
4. वीरसिंह पुत्र श्री रामस्वरूप (मृतक) पुत्र चिरमोली		जिला करौली।

5. अजमती पुत्री चिरमोली पत्नि अतरसिंह जाति जाट निवासी रेवई तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान।

6. प्रेम पुत्री चिरमोली पात्नि दलेल जाति जाट निवासी क्यारदा कला तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान। ——प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील हिण्डौन जिला करौली।

2. जिला कलेक्टर महोदय, करौली जिला करौली राजस्थान। ————अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. ऐक्ट.

उपस्थित :– 1. श्री संतोष कुमार मुद्गल एडवोकेट प्रार्थीगण

निर्णय दिनांक :– 26.09.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. ऐक्ट. विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 में दर्ज किया है कि आराजी साविक खसरा नम्बर 426/1/1/2 मिन जिसका नया खसरा नम्वर 788 रकबा 0.60 ऐयर साबिक खसरा नंबर 426/1/1/2 मिन का नया नंवर 833 रकबा 0.40 एयर स्थित ग्राम ऐकोरासी तहसील हिण्डौन मैं स्थित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि उपरोक्त आराजीयात पर प्रार्थीया के पिता व बाबा चिरमोली पुत्र घोटी खातेदार कास्तकार काबिज व दखील रहा है, और अपने जीवन पर्यन्त उक्त आराजीयात पर काबिज होकर फसल दर फसल कास्त करता रहा व लगान जमा कराता रहा तथा चिरमोली की मृत्यु के बाद प्रार्थीगण उक्त आराजीयात पर काबिज होकर फसल दर फसल काश्त कर सरकारी लगान अदा करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण का सजरा निम्न प्रकार से है :–

उपखण्ड अधिकारी। हिण्डौन सिटी (करौली)

चिरमोली

विजय सिंह	समयसिंह	राजाराम	रामस्वरूप	अजमती	प्रेम

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि दौराने सेटिलमेंट अप्रार्थीगण ने उक्त आराजी खसरा नम्बर 788 रकबा 0.60 ऐयर तथा खसरा नम्बर 833 रकबा 0.40 ऐयर की किस्म परिवर्तित कर सिवायचक दर्ज कर दी है। प्रार्थीगण उक्त आराजीयात पर आज दिनांक तक जमाना बुजुर्गान से काबिज एवम दखील बेरोक टोक होकर शांति पूर्वक कास्त करते चले आ रहे है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि दिनांक 20.11.2014 को प्रार्थीगण उक्त आराजीयात पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार कार्यालय हिण्डौन पर गये जहाँ पर पटवारी द्वारा प्रार्थीगण को बताया कि उक्त आराजीयात की किस्म सिवायचक बताते हुये किसान क्रेडिट कार्ड बनाने से मना कर दिया। जिस पर प्रार्थीगण ने तहसीलदार हिण्डौन के कार्यालय में गये और उक्त आराजीयात खसरा नम्बरान बाबत सिवायचक के स्थान पर खातेदारी करने का निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार जी नाराज हो गये और रिकॉर्ड में दुरुस्त करने से स्पष्ट इंकार कर दिया।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को जरिये अपने अधिवक्ता श्री संतोष कुमार मुद्गल एडवोकेट, न्यायालय परिसर हिण्डौन की मार्फत एक विधिक नोटिस जरिये रजिस्टर्ड पत्र दिए 07.01.2015 को भिजवाया जो कि अप्रार्थीगण को प्राप्त हो चुका है, तथा नोटिस की अवधि भी समाप्त हो चुकी है, इसके बावजूद भी प्रार्थीगण के राजस्व रिकोर्ड में संशोधान कर खसरा नम्वर 426/1/1/2 का नया नंबर 788 रकबा 0.60 हेक्टेयर की किस्म सिवायचक के स्थान पर खातेदारी दर्ज नहीं की है। तथा प्रार्थीगण के उक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 426/1/1/2 मिन का नया नंबर 833 रकबा 0.40 हेक्टेयर स्थित ग्राम ऐकोरासी और जोड दिया है, इसलिए राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में साविक खसरा नम्बर 426 2 1/2 मिन का नया नम्बर 788, 833 का रकबा 0.60 हेक्टेयर स्थित ग्राम ऐकोरसी ही रखा जाना आवश्यक है तथा सिवायचक के स्थान पर खातेदारी दर्ज किया जाना आवश्यक है। इस कारण यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर ऐक्ट पेश किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र अंदर अवधि पेश किया जा रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर ऐक्ट के तहत पेश किया जा रहा है, जिस पर निश्चित न्याय शुल्क पेश है तथा इस प्रार्थना पत्र की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र माननीय अदालत हाजा को प्राप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर ऐक्ट पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की साबिक आराजी खसरा नम्बर 426/1/1/2 मिन जिसका नया नम्बर 788 रकबा 0.60 हेक्टेयर, 833 रकवा 0.40 हेक्टेयर वाके ग्राम एकोरसी तहसील हिंडौन की किस्म सिवायचक के स्थान पर किस्म प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि दर्ज किया जावे तथा प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 788 रकबा 0.60 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 833 रकबा 0.40 हेक्टेयर वाके ग्राम एकोरासी रखा जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से तहसीलदार हिण्डौन ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि मद सं० 1 इस हद तक स्वीकार है कि ग्राम एकोरासी स्थित साबिक ख० नं0 426/1/1/2 मि० का वाद भू– प्रबंध हाल ख०नं0 788 रकवा 0.60 है० व ख०नं० 833 रकवा 0.40 है० संलग्न पत्रावली नकल मिलान क्षेत्रफल से बनना प्रतीत होता है।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि मद सं० 2 लामालूम अस्वीकार है।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि मद सं० 3 इस हद तक स्वीकार है कि प्रार्थना पत्र में अंकित हाल ख० नं0 788 रकवा 0.60 है० पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी सबत् 2069 से 72 ग्राम एकोरासी कृषि योग्य भूमि सिवायचक दर्ज है। अन्य तथ्य स्वीकार नही है।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि मद सं0 4 अस्वीकार है।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि मद सं० 5 कानूनी है।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि मद सं० 6 कानूनी है।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि मद सं0 7 कानूनी है।

अन्य तथ्यः–

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र 136 एलआरएक्ट में प्रस्तुत कर न्यायालय से यह राहत चाही गई है कि ग्राम एकोरासी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

स्थित साबिक ख० नं0 426/1/1/2 मि० का जरिये भू–प्रबंध हाल ख०न० 788 रकवा 0.60 है० बनना नकल मिलान क्षेत्रफल से प्रतीत होता है। प्रार्थियान् द्वारा प्रार्थना पत्र के भू–प्रबंध खसरा नकल, खसरा परिशोधन पत्रक नकल एवं साबिक नक्शा व वाद भू–प्रबंध नक्शा प्रति संलग्न दस्तावेज नही है। इससे यह प्रतीत नही होता है कि साबिक ख० नं० 426/1/1/2 का हाल ख० नं0 788 नक्शा शीट में उपलब्ध है। साक्ष्य/सबूत अभाव की स्थिति में प्रार्थना पत्र खारिज योग्य फरगाया जावे।

वकील प्रार्थीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2039–42, नकल जमाबन्दी सं0 2069–72, नकल मिलान क्षेत्रफल पेश किये हैं।

वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2039–42 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 67 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 343 रकबा 19 बिस्वा, 426/1/1/2 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 475/1/1/33 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, 475/1/1/42 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 426/6 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 75/10 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 13 बीघा वाके ग्राम एकोरासी तहसील हिण्डौन की खातेदारी चिरमोली पुत्र घोटी जाति जाट निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बरान के नवीन खसरा नम्बरान निम्नानुसार कायम किये गये हैं :–

साबिक खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में
426/1/1/2 मिन	–	788	0.60
426/1/1/2 मिन	–	833	0.40
426 मिन	10 बिस्वा	830/974	0.13
426 मिन	–	848/975	0.22
426 मिन	10 बिस्वा	787/976	0.15
426 मिन	15 बिस्वा	794/977	0.26
426 मिन	3 बिस्वा, 4 बिस्वा	831/998	0.14
426 मिन	–	829/979	0.20

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

नकल जमाबन्दी सं0 2069–72 के अनुसार विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 788 रकबा 0.60 है0, 833 रकबा 0.40 है0 वाके ग्राम एकोरासी तहसील हिण्डौन की खातेदारी सिवायचक सरकारी भूमि जिम्मन नं01 में दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के द्वारा साबिक खसरा नम्बर 67 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 343 रकबा 19 बिस्वा, 426/1/1/2 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 475/1/1/33 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, 475/1/1/42 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 426/6 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 75/10 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 13 बीघा वाके ग्राम एकोरासी तहसील हिण्डौन के दौराने सेटिलमेन्ट हाल खसरा नम्बर कौन कौन से बनाये गये हैं सभी खसरा नम्बरों का मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किया है और ना ही उक्त साबिक खसरा नम्बरान से कायम किये गये हाल खसरा नम्बरों की वर्तमान की जमाबन्दी की नकलें ही पेश की गई है। प्रार्थीगण के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जो रिलीफ चाही गई है वह धारा 136 एल.आर. एक्ट की श्रेणी में नहीं आती है। इस प्रकार प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने में असफल रहे हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्य सबूतों एवं प्रार्थीगण के द्वारा चाही गई रिलीफ धारा 136 एल. आर. एक्ट की श्रेणी में नहीं आने के कारण खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण विवादित आराजी खसरा नम्बर 788 रकबा 0.60 है0, 833 रकबा 0.40 है0 वाके ग्राम एकोरासी तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/9/25

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)